न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 96/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/148)	18.09.2024	08.01.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

भैरू, रघुवीर, रामेश्वर पि0 उच्छबा, जाति भाट,
निवासी ग्राम डोरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी उच्छबा पुत्र रामचन्द्र को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 183, 557 रकबा 0.7527 हैक्टेयर वाकेग्राम डोरा आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 96/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/148 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण की पेशी दिनांक 23.10.24 की तामील हेतु जारी नोटिस इस नाम का व्यक्ति घर पर नहीं मिलने से उसके मकान पर चस्पा किया गया, की तस्दीकशुदा रिपोर्ट गवाह गोमाजी व कालूलाल सहित प्राप्त हुई, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 27.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि उच्छबा पुत्र रामचन्द्र जाति भाट निवासी ग्राम डोरा को दिनांक 29.11.1975 को भूमि खसरा संख्या 183 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 557 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम डोरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डोरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 183 रकबा 0.5180 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 557 रकबा 0.2347 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण भैरू, रघुवीर, रामेश्वर पि0 उच्छबा भाट गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी रबी (उन्हालू) संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "**पड़त**" पडी होना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर 48 वर्षो तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी उच्छबा आ. रामचन्द्र जाति भाट निवासी डोरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 183 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा (0.5180 हैक्टेयर) एवं खसरा सं. 557 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा (0.2347 हैक्टेयर) वाकेग्राम डोरा दिनांक 26.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी के दर्ज उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी